Phone & Fax no.0135-2431159 email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 96 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 10 /07 /2023,।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड्ल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 3.5975 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में प्रपोजल संख्या–(FP/UK/ROAD/33094/2018)**

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी का पत्रांक–3253/12–1, दिनांक–05.06.2023,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	शर्त सं0–02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है, एवं पत्र सं0–5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक–06.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है। अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें।	इस शर्त के अनुपालन में दिनांक–06.01.2022 तक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति को प्राप्त हुए 05 वर्ष पूर्ण न होने के कारण प्रकरण में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा कराया जाना लागू नहीं है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा/खतौनी नं0 अंकित करते हुये) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण–पत्र खसरा सं0 का उल्लेख करते हुये मूल प्रति मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण–पत्र खसरा सं0 का उल्लेख करते हुये संलग्न है। **(संलग्नक–01)**
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण–पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति संलग्न है **(संलग्नक–02)**
4	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। **(संलग्नक–03)**

यदि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को working permission दे दिया गया है तो उसकी प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस शर्त के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक 10.08.2021 द्वारा प्रस्तावक विभाग को दी गयी कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति का पत्र की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–04)**

संलग्न– उपरोक्तानुसार :–

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
08/07/23

संख्या:– 96 / 12-7 **दिनांकित।**

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक
08/07/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 3253/12-1, कोटबंगला दिनांक 05/06/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

वन विभाग
प्राप्ति 5297
पत्रावली 12-1
दिनांक 16/06/2023

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि के सम्बन्ध में प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/33094/2018 ।

सन्दर्भ :- कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–17/ FP/UK/ROAD/33094/2018 देहरादून दिनांक 02.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत पगकरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.09.2021 द्वारा लगाई गई 03 बिन्दुओं की आपत्ति की सूचना आख्या तथा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गई 05 बिन्दुओं सूचना/आख्या आपके माध्यम से नोडल कार्यालय को प्रेषित की जाए।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.09.2021 द्वारा लगाई गई 03 बिन्दुओं की आपत्ति की सूचना आख्या इस कार्यालय के पत्र दिनांक 02.06.2022 द्वारा आपके कार्यालय को पूर्व में प्रेषित की गई है, तथा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गई आख्या, प्रयोक्ता विभाग के कार्यालय पत्र सं0–424/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/चि0सौड दिनांक 19.05.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो कि निम्नवत् है।

क्र.सं	शर्त/त्रुटि का विवरण	निराकरण
1	शर्त सं0–02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा एन0पी0वी0 की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है, एवं पत्र सं0–5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावो को चिन्हित किया गया है जिनमें एन0पी0वी0की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा करायी जानी है । अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें।	दिनांक 06.01.2022 तक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति को प्राप्त हुए 05 वर्ष पूर्ण न होने के कारण प्रकरण में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि जमा कराया जाना लागु नही है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखों (खसरा/खतौनी नं0 अंकित करते हुए) के अनुसार मिलान कर मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा सं0 का उल्लेख करते हुए मूल प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतुचयनित क्षेत्र का मानचित्र/उपयुक्तता प्रमाण पत्र खसरा सं0 का उल्लेख करते हुए संलग्न है।(संलग्नक–01)
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित भूमि को वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति संलग्न है। (संलग्नक–02)
4	उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।	प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है का प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक–03)

D.F., B.G.

...गीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावक विभाग को ...king permission दे दिया गया है तो उसकी प्रति ...ो इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.08.2021 द्वारा प्रस्तावक विभाग को दी गई कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति का के पत्र की प्रति संलग्न है।**(संलग्नक–04)**

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार तीन प्रतियों में।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड, चि0सौड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आख्या अपने स्तर से ऑनलाइन पोर्टल परिवेश में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(संलग्नक-01)

91

डिजिटल मैप — जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत गडथ (दिलारीखोल) से गड़थ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

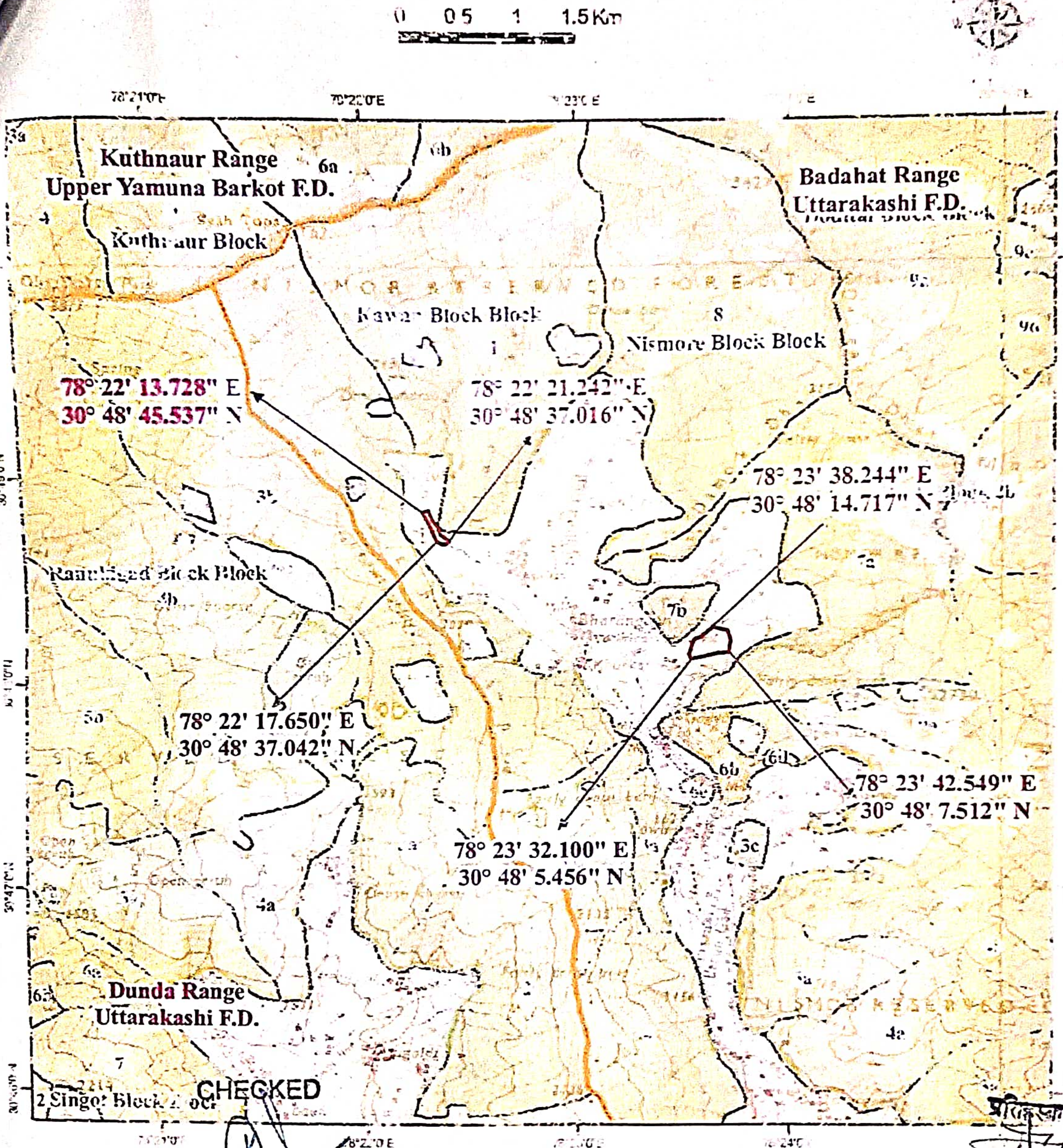

Draughtsman

Legend

- Proposed Ca Land
- Forest Reserve Boundary
- Forest Reserve Boundary
- Forest Range Boundary

उप जिलाधिकारी
डुण्डा उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

तहसीलदार
डुण्डा

S.E

AE

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन राजि

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

(संलग्नक -01) (07)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्ता/उपलब्धता प्रमाण–पत्र।

कार्य का नाम :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना हेतु प्रस्तावित 3.5975 हे0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल यानि 7.195 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उपरीकोट खसरा नं0–722 रकवा 2.200 हे0, ग्राम खुरकोट खसरा नं0–505 रकवा 5.605 हे0 तथा कुल रकवा 7.805 हे0 मे से 7.195 हे0 सिविल सोयम भूमि उपयुक्त/उपलब्ध है।

ह0/– 21/8/17	ह0/–	ह0/–	ह0/–
पटवारी	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
राजस्व उप निरीक्षक बडेथी तहसील–डुण्डा	तहसीलदार डुण्डा		

ह0/–

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी0एम0जी0एस0वाई0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

(संलग्नक -02)

G20

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3
संख्या- 195 /X-3-23/1(126)/2019
देहरादून: दिनांक 21 मार्च, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गड्थ (दिवारीखोल) से गड्थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 3.5975 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड0 एवं वर्ग-8 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 7.195 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं-

तालिका

क्र0 सं0	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	उपरीकोट	31	722	2.200	2.200	उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड0 व वर्ग 8
		खुरकोट	38	505	5.605	4.995	
				योग:-	7.805	7.195	

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 21-03-2023 11:30:39

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

संख्या:- 195 /X-3-23/1(126)/2019,तददिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी0एम0जी0एस0वाई0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

...10196/2023

6. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
7. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ख), भाग–4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

Signed by Satya Prakash Singh
Date: 21-03-2023 13:40:16

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी०एम०जी०एस०वाई०
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

(सलग्नक -03)

परियोजना का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत वृक्षों का पातन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत गडथ (दिवारीखोल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत समरेखण में किया गया है एवं स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत ही वृक्षों का पातन किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 चिन्यालीसौड	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 चिन्यालीसौड	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 चिन्यालीसौड

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू

C/S
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

(संलग्नक-09)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 543 /12-1 , कोटबंगला दिनांक 10/08/2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
चिन्यालीसौड, उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गडथ (दिवारीखौल) से गडथ लिंक मोटर मार्ग में कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध मे। प्रस्ताव सं0- FP/UK/ROAD/33094/2018.

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 596/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/चि0सौड /वन भूमि, दिनांक 30.06.2021 एवं पत्रांक 785/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0/चि0सौड /वन भूमि, दिनांक 28.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/185/2019/एफ0सी0/1091, दिनांक 28.08.2020 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 3394/12-1 दिनांक 16.03.2021 से नोडल कार्यालय, देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। आप द्वारा उक्त परियोजना मे सिविल भूमि एवं नाप भूमि में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः भारत सरकार के पत्रांक 11-306/2014-एफ0सी0, दिनांक 08.08.2014 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 43/X-4-2015/1-05(04)/2014, दिनांक 05.02.2015 तथा शासनादेश सं0 941/X-4-18/1-05(04)/2014, दिनांक 26.09.2018 में उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन में उक्त परियोजना में कार्य प्रारम्भ करने हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है -

1. कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव में निर्दिष्ट मलवा निस्तारण योजना के अनुरूप ही मलवा निस्तारण किया जायेगा। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा आरक्षित वन भूमि में मलवा गिराया जाता है, तो उन्हे विधिक कार्यवाही से बाधित होना पड सकता है।
3. प्रत्यावर्तित की गई वन भूमि पर आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
4. उक्त अनुमति की वैद्यता जारी होने की तिथि से एक वर्ष अथवा एक वर्ष के भीतर विधिवत स्वीकृति निर्गत होने तक की समयावधि के लिए होगी।
5. उक्त अनुमति मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा समय-2 में निर्गत होने वाले आदेशों के अधीन होगी। उक्त आदेशों की अवेहना के कम में कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी।

शर्तो का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित करें। उल्लंघन की दशा में "वन संरक्षण अधिनियम-1980", "भारतीय वन अधिनियम-1927" एवं "वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972" के विधिक प्रावधान अधिरोपित होंगे।

भवदीय

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता (तृतीय)
पी0एम0जी0एस0वाई0
चिन्याली सौड़ (उत्तरकाशी)

C:\Users\Jetking Computers\Desktop\Letter-1..doc